49

क्रम-संख्या–331(क–4)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2011–13
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 27 दिसम्बर, 2013

पौष 6, 1935 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग–5

संख्या 1129 / 1-5-2013-113-2013

लखनऊ, 27 दिसम्बर, 2013

अधिसूचना

प०आ०–399

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित यू०पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 (यू०पी० ऐक्ट संख्या 3 सन् 1901) की धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और इस निमित्त पूर्वतर जारी की गयी सरकारी अधिसूचनाओं का आंशिक उपान्तर करके राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से जनपद इटावा में एक नई तहसील सृजित करते हैं, जो तहसील ताखा के नाम से जानी जायेगी, जिसका मुख्यालय ताखा में होगा, जिसमें नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट ग्राम समाविष्ट होंगे और विद्यमान तहसील भरथना की सीमाओं से उक्त ग्रामों को अपवर्जित करते हैं।

राज्यपाल अग्रतर निदेश देते हैं कि इस अधिसूचना की किसी बात का प्रभाव किसी विधि न्यायालय में जिसने अब तक उक्त क्षेत्रों के सम्बन्ध में अधिकारिता का प्रयोग किया है, पहले से प्रारम्भ की गयी या विचाराधीन किसी विधिक कार्यवाही पर नहीं पड़ेगा।

उपजिलाधिकारी
ताखा (इटावा)